राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1900/2012/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जैन एन्टरप्राईजेज, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 18/10/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 73/वैट/2010–11/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 22, 58 व 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2010–11 (01.04.2010 से 31.06.2010) के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 15.07.2010 से आरोपित कर राशि रूपये 13,827/– शास्ति रूपये 27,655/– के संबंध में शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार की है। अपीलार्थी राजस्व ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने व अपील स्वीकार करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का दिनांक 06.07.2010 को सर्वेक्षण किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर पायी गई लूज पर्चियों के आधार पर अघोषित कर योग्य पी.वी.सी. बिक्री रूपये 2,76,546/– पर 5 प्रतिशत की दर से रूपये 13,827/– का कर आरोपित किया गया तथा अघोषित बिक्री पर धारा 61 के तहत रूपये 27,655/– की शास्ति आरोपित की गई।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण को विधिसम्मत एवं न्यायोचित होना बताया तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई अघोषित बिक्री नहीं की गई है। बिक्री के नियमित बिल जारी किये गये हैं। अभिग्रहित रिकॉर्ड कर निर्धारण अधिकारी ने लौटाया नहीं है। अपीलीय आदेश को उचित बताया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के समय लूज पर्चियों के आधार पर लूज पर्चियों का मिलान नियमित बहियों से नहीं होने के कारण उनको उचन्ती बिक्री होना माना। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में दिनांक 15.07.2010 के आदेश पत्र में सीज की गई डायरियां संख्या 1 से 6 तथा लूज पर्चियां 6, 10, 12, 13 व 14 को छोड़कर बाकी 13 लूज पर्चियां सुपुर्द करने का लिखा हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी ने उचन्ती बिक्री प्रमाणित नहीं की है। उचन्ती बिक्री में दोषी मनोभाव सिद्ध करने का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्वहन नहीं किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

18/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य